

प्रेस विज्ञप्ति

विदेश मंत्रालय

अटल भाषांतर योजना

विदेश मंत्रालय ने हिंदी से अरबी, चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसी और स्पेनिश में और विलोमतः भाषांतरण हेतु 'विशिष्ट दुभाषिया' का पूल तैयार करने के लिए भाषा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण हेतु अटल भाषांतर योजना का गठन किया है।

2. अटल भाषांतर योजना के तहत उपर्युक्त विदेशी भाषाओं में से प्रत्येक के लिए बहु-चरणीय चयन प्रक्रिया द्वारा एक उम्मीदवार का चयन किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को विदेश के प्रतिष्ठित भाषा विद्यालयों में सरकारी खर्च पर विदेशी भाषा में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात सफल उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए 'विशिष्ट दुभाषिया' के रूप में नियोजित किया जाएगा।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित तथा एनएएसी के बी+ या उससे अधिक वर्गीकरण वाले विश्वविद्यालयों से 06 भाषाओं में स्नातक और उच्चतर डिग्री या समकक्ष योग्यता वाले, हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्ष और 21-26 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवार अटल भाषांतर योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

4. अटल भाषांतर योजना के लिए आवेदन मंत्रालय के वेबसाइट और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।

नई दिल्ली

नवम्बर 19, 2019